देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

आलेख संख्या– 2022/palm/04 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 23 फरवरी 2022

विलायती शराब के खेल निराले!!!

BIO(Bottled in Origin) और BII(Bottled In India) शराब के नाम से बेची जाती है विलायती शराब!!!

राजस्थान मे करोड़ो का सालाना मार्केट है,BIO शराब का!!!

इसमे से कितनी वैध कितनी अवैध?

राजस्थान मे BIO शराब की खुलेआम हो रही तस्करी!!!

आबकारी विभाग और आरएसबीसीएल की मिलीभगत से विलायती शराब के तस्करो की पौ-बारह!!!

विशेष रिपोर्ट-4

कई शराब शोरूम के मालिक,5 स्टार होटल्स और बड़े क्लब्स के मालिक इस खेल मे शामिल!!!

5 स्टार होटल्स और बड़े क्लब्स कर रहे जीएसटी की चोरी!!!

काले धन को सफ़ेद करने का चल रहा खेल!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

भारत मे शराब बाजार का परिदृश्य

हमारे देश में शराब के विज्ञापन पर रोक है| यही वजह है कि टेलीविजन, अखबार और पत्रिकाओं आदि में इसके पोस्टर या वीडियो द्वारा प्रचार नहीं किया जाता हैं|यहां तक कि टेलीविजन के धारावाहिकों और फिल्मों में धूम्रपान और शराब के सेवन के दौरान वैधानिक चेतावनी भी दिखाई जाती है| लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि इतनी पाबंदियों के बाद भी देश में शराब की खपत साल-दर-साल बढ़ती जा रही है|

भारत मे शराब का प्रचलन ब्रिटिश काल के पहले से चला आ रहा है|अंग्रेज़ो द्वारा इस पर अधिक टेक्स लगा कर या अन्य नीतियो द्वारा इसको काबू मे लाने के प्रयास किए गए थे|अग्रेजों के शासन के बाद आजाद भारत मे भी केंद्र और राज्य सरकारो द्वारा शराब के प्रचलन को कम करने के प्रयास किए गए है|जिसका नतीजा है कि गुजरात,बिहार जैसे राज्यो मे पूर्ण शराबबंदी लागू है|लेकिन इसके बावजूद भारत मे शराब की खपत दिनो दिन बढ़ती जा रही है|आज भारत शराब उत्पादो के उपयोग की दृष्टि से विश्व का सबसे तेज बढ्ने वाला देश बन चुका है जिसके चलते विदेशी कंपनियों की निगाहे भारत पर गढ़ी हुई है|एक सर्वे के अनुसार भारत मे 300 मिलियन केस विस्की की सालाना खपत होती है,जिसमे साल दर साल इजाफा होता जा रहा है|राज्यों द्वारा लागू की जाने वाली मद्द संयम नीति से जहां आम जन के स्वास्थ्य,उनकी अर्थव्यवस्था को सुरक्षा मिलती है वहीं इसके दुसप्रभाव भी सामने आते है,जो कि काले धन की समानांतर व्यवस्था,भ्रष्टाचार,शराब कीमतों मे वृद्धि और सस्ती/घटिया देशी शराब से होने वाली जानोमाल की हानि के रूप मे हमारे सामने आती है|

शराब उद्योग,अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर

देखा जाए तो शराब उद्योग से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है,शराब उद्योग से सालाना हमारी सरकारो को 240000 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती है|शराब उद्योग से 50 लाख किसानो को मदद मिलती है,20 लाख व्यक्तियों को शराब आधारित कल-कारखानो मे रोजगार उपलब्ध होता है|शराब उद्योग से सहायक उदद्योगों जैसे काँच,बोतल,पेकिंग आदि उदद्योगों द्वारा 6000-7000 करोड़ का सालाना टर्नओवर किया जाता है|

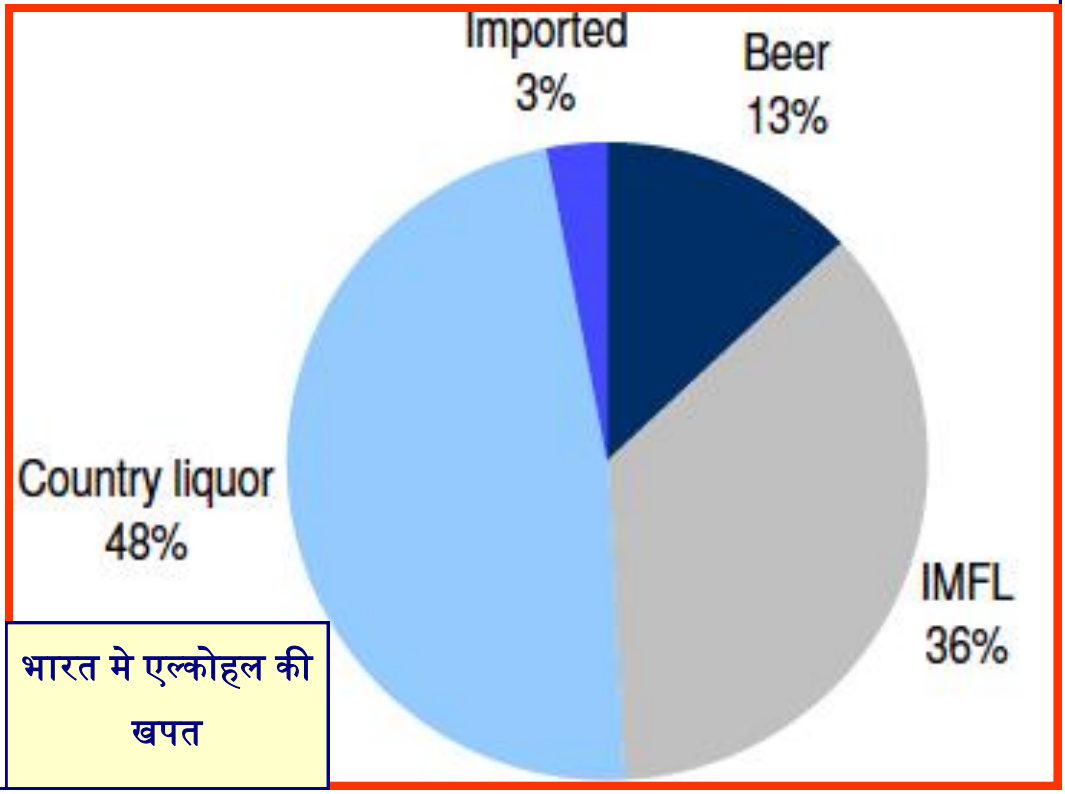

भारत मे एल्कोहल की खपत

क्या होती है विलायती शराब?

BIO(Bottled in Origin) और BII(Bottled In India) शराब मे क्या है फर्क?

भारत मे अधिकृत रूप से तीन तरह की शराब बेची जाती है,जिन्हे Indian Made Foreign liquor (IMFL),Foregin Made Foregin Liquor(FMFL) और Indian Made Indian Liquor(IMIL)कहा जाता है|इनमे से

Indian Made Foreign liquor(IMFL) को BII (Bottled in India) और Foregin Made Foregin Liquor(FMFL) को BIO(Bottled In Origin) शराब कहा जाता है|BIO(Bottled in Origin) शराब का मतलब उस शराब से होता है जो उसी देश से सीधे बोतल मे बंद होकर आयात की जाती है,जिस देश मे उसका उत्पादन और बोटलिंग की जाती है|जबकि BII(Bottled In India) शराब का मतलब उस शराब से होता है,जिसका मेटेरियल बाहरी देश से आयात किया जाता है और जिसकी बोटलिंग/पेकेजिंग भारत मे स्थित डिस्टलरियो मे की जाती है|

आज हम इस विशेष रिपोर्ट मे केवल BIO शराब की बात करेंगी जिसे पूर्ण रूप से विलायती शराब कहने मे कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी|भारत मे विलायती शराब(BIO) का प्रचलन अभिजात्यवर्ग,उच्च मध्यम वर्ग और विदेशी पर्यटको तक ही सीमित रहा है लेकिन हाल के कुछ वर्षो मे इसकी खपत तेजी से बढ़ती जा रही है|चूंकि BIO(Bottled in Origin) शराब पर केंद्र सरकार द्वारा कस्टम ड्यूटी वसूली जा चुकी होती है अतः राज्यो द्वारा शराब पर वसूली जाने वाली एक्साइज़ ड्यूटी को कम कर दिया जाता है जबकि BII(Bottled In India) शराब पर कस्टम ड्यूटी नहीं/कम होने की वजह से इस शराब पर एक्साइज़ ड्यूटी को अधिक रखा जाता है|राजस्थान मे BIO(Bottled in Origin) शराब पर एक्साइज़ ड्यूटी वसूल नहीं कर, होलसेल लाइसेन्स फीस वसूली जाती है जो कि MRP की करीबन 15 से 18% के बीच होती है|जबकि BII(Bottled In India) शराब पर बकायदा एक्साइज़ ड्यूटी वसूली जाती है जो कि MRP की 45-50% के बीच होती है|

BII Brands
1000 pipers
Blenders Pride
Devars
Discovery
Grover
Imperial Blue
Jaisalmer
Mc Dowell
Officers Choice
Rockford
Royal Challenge
Royal Green
Royal Stag
Signature
Solan
Teachers
VAT 69
Sula
Starling Reserve

BIO Brands
Red Label
Ballantine's
Absolute Vodka
J&B Rare
Jameson Irish
Tanqueray Gin
Beefeater Gin
Ballantine's 12
Black Label
Chivas Regal
Grey Goose
Belvedere Vodka
Ciroc Vod ka
Singleton 12 Yr
Double Black
Monkey shoulder
Hendrick's Gin
Glenlivet 15Yr
Chivas Rega l 18
Johnnie Walker
Jacobs creek,
Hibiki Japanese
OUTBACK JACK WINE
EMILIANA WINE
CAMAS WINE
OPERA WINE
JOHNSTON WINE
FISHING CAT WINE
BLACK LABEL SPEYSIDE
BLACK LABEL LOWLANDS

क्या है विलायती शराब के मामले मे राजस्थान का परिदृश्य?

राजस्थान मे शराब का वितरण राजस्थान स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड(आरएसबीसीएल)द्वारा किया जाता है|हाल के वर्षो मे राजस्थान मे विलायती शराब(BIO) की खपत BII शराब की तुलना मे बहुत कम रही है|ठेकेदारो द्वारा भी इस BIO शराब को बेचने मे कम रुचि ली जाती है|लेकिन युवा वर्ग मे शराब के प्रति आकर्षण के कारण BIO शराब के मार्केट मे तेजी से वृद्धि हो रही है|सूत्रों के अनुसार BIO शराब की बिक्री मे 300% की तेजी आई है|लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान मे बड़े-बड़े 5 स्टार होटलो/क्लबों/शादी समारोह मे BIO शराब की बढ़ती मांग के बावजूद,आरएसबीसीएल के गोदामो पर BIO शराब उपलब्ध नहीं होने से,BIO शराब की 80% आपूर्ति दो नंबर मे शराब तस्करो द्वारा की जा रही है और राजस्थान सरकार इन शराब तस्करो को फ़ायदा पहुचाने के लिए आबकारी नीति मे भी फेरबदल करने से नहीं हिचक रही|आइये विस्तार से इस मामले को बताते है|

शराब ठेकेदार नहीं लेते BIO बेचने मे रुचि

वर्तमान मे राजस्थान आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार राजस्थान के ठेकेदारो से एक्साइज़ ड्यूटी के अनुरूप वार्षिक न्यूनतम गारंटी वसूली जाती है|अब यदि वह BIO(Bottled in Origin) शराब बेचता है तो इस पर होलसेल लाइसेन्स फीस 15 से 18% ही होती है|जिसके चलते उसे BIO की अधिक बोतले बेचनी पड़ती है|इसकी बनिस्पत यदि वह BII(Bottled In India) शराब बेचता है तो उसकी गारंटी 45-50% पूरी होती है|इस प्रकार एक ठेकेदार को अपनी गारंटी पूरी करने के लिए तीन गुना BIO शराब की बोतले बेचनी पड़ती है बनिस्पत BII शराब की बोतलों के|जिसके चलते शराब ठेकेदार द्वारा BIOशराब बेचने मे कम रुचि ली जाती है|

शराब तस्करो की बल्ले-बल्ले

युवा वर्ग मे बढ़ती विलायती शराब की मांग का सबसे ज्यादा फायदा शराब तस्कर उठा रहे है|शराब ठेकेदारो की BIO शराब बेचने के प्रति उदासीनता के चलते राज्य मे महंगी शराब की तस्करी करने वाले तस्करो की चाँदी हुई पड़ी है|अमूमन पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा छोटे शराब तस्करो को पकड़ कर अपनी ज़िम्मेदारी से इतिश्री कर लेती है|लेकिन असली खेल महंगी शराब की तस्करी करने वाले तस्कर कर रहे है जिन्हे आम भाषा मे बोटलेगर भी कहा जाता है|

काली कमाई के लिए नया खेल: लग्जरी कारों से हो रही अवैध शराब की तस्करी

हाई प्रोफाइल महिला शराब तस्कर गिरफ्तार: लग्जरी कार से करती थी शराब की डिलीवरी, पुलिस ने 80 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 3 को किया गिरफ्तार

Ravi Ranjan · February 2, 2022 · 2 minutes read

कैसे होती है विलायती शराब की तस्करी?

विलायती शराब की तस्करी अमूमन दिल्ली,गुड़गांव,हरियाणा,पंजाब के रास्ते की जाती है|चूंकि जहां सस्ती शराब की तस्करी मे बड़ी गाड़ियो का उपयोग किया जाता है,जिनकी सबसे ज्यादा चेकिंग की जाती है इससे बचने के लिए महंगी शराब की लक्जरी कारो के जरिये तस्करी की जाती है क्यूंकी इसमे कम संख्या मे अधिक का माल आ जाता है|यह शराब तस्कर अमूमन दो तरह के माल की तस्करी करते है|पहला दिल्ली-हरियाणा की लाइसेन्स शुदा शराब की दुकानों से दूसरा बिना ड्यूटी की विदेशो से तस्करी के जरिये आने वाले माल की|

हरियाणा-दिल्ली मे सस्ती मिलती है शराब,विदेशो से तस्करी के जरिये आने वाली शराब उससे भी सस्ती

हरियाणा-दिल्ली सरकार द्वारा शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम रखा गया है जिसके चलते राजस्थान की तुलना मे वहाँ सस्ती और महंगी दोनों तरह की शराब बहुत सस्ती है,जिसका फायदा यह शराब तस्कर उठाते है|इसी तरह जो शराब विदेशो से तस्करी के जरिये भारत मे आती है,वह दिल्ली-हरियाणा मे मिलने वाली विलायती शराब से भी सस्ती होती है क्यूंकी वह

अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, 1400 विदेश शराब की पेटी बरामद

Edited By ashwani, Updated: 01 Oct, 2021 01:16 AM

जीरकपुर(गुरप्रीत) : आबकारी विभाग व जिला पुलिस की सांझी टीम ने बिना होलोग्राम तस्करी कर लाई बी.आई.ओ. ब्रांड की लाखों रुपए की विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की। 2 आरोपियों को भी काबू किया गया है। जीरकपुर पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। जीरकपुर पुलिस स्टेशन में पत्रकारवार्त्ता के दौरान आबकारी आयुक्त पंजाब नरेश दुबे ने बताया कि सूचना मिली थी कि पंजाब राज्य में कुछ लोग बी.आई.ओ. ब्रांड और विदेशी शराब की तस्करी में शामिल हैं। आबकारी विभाग और जिला पुलिस मोहाली की विभिन्न संयुक्त टीमों का गठन कर कार्रवाई शुरू की गई। धंधे में शामिल संदिग्ध लोगों की रैकी शुरू की। इस दौरान पता चला कि आरोपी विदेशी शराब और बीयर के महंगे ब्रांड नोएडा और दिल्ली व अन्य राज्यों से तस्करी कर पंजाब में लाते थे और सब-डिवीजन डेराबस्सी के लालडू और खिजराबाद क्षेत्र में अपने अवैध गोदामों में इसे स्टोर करते थे।

बीती रात गुप्त सूचना मिली कि गिरोह शराब की खेप लेकर महिंद्रा पिकअप में लोड़ कर जीरकपुर क्षेत्र की ओर आ रहा है और उक्त पिकअप को महिंद्रा स्कार्पियो में विश्वजीत सिंह एस्कार्ट कर ले जा रहा है। गठित टीमों ने जीरकपुर के पास नाका लगाया व इस दौरान दो आरोपियों सहित दोनों वाहनों सहित काबू किया। पिकअप की जांच करने पर उसमें 201 पेटी विदेशी शराब मिली। दस्तावेज पेश न कर पाने पर जीरकपुर थाने में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

लालडू और खिजराबाद के गोदाम में स्टोर की थी

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे स्पेन और रोमानिया में अपने सहयोगियों से शराब और बीयर का आयात करते थे और आगे इस शराब और बीयर को पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना और कर्नाटक में सप्लाई करते थे। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि वे 1400 पेटी सीनियर बोक और मोलर की अवैध रूप से तस्करी कर चुके हैं। जो लालडू व खिजराबाद में स्टोर की गई हंै। पुलिस ने इस निशानदेही पर यह शराब की बड़ी खेप भी बरामद कर ली है। बहरहाल जांच जारी है।

पूर्व डी.आई.जी. के गोदाम में छिपा रखी थी 800 पेटियां

माजरी, (पाबला) : गांव खिजराबाद में खिजराबाद-बिंदरख संपर्क सड़क पर स्थित एक फार्म हाऊस में से एक्साइज विभाग के उच्च अधिकारी रजत अग्रवाल, नरेश दुबे ने बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। डी.एस.पी. बिक्रमजीत सिंह बराड़ ने बताया कि शराब बेचने बाली गैंग के लोगों के खिलाफ जीरकपुर में मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों ने ही पूछताछ में यहां शराब स्टोर करने का खुलासा किया। यहां से 800 पेटियां शराब बरामद की गई थी। गांव खिजराबाद के लोगों ने बताया कि यह फार्म हाऊस पुलिस विभाग के पूर्व डी.आई.जी. के नाम पर मशहूर है।

बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए आती है,भारत मे विलायती शराब के आयात पर 150% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है,तस्करी करने से यह कस्टम ड्यूटी बचा ली जाती है,जिसका एक मोटा हिस्सा इस शराब को इधर से उधर करने के लिए भ्रष्ट अधिकारीयों को घूस देने मे किया जाता है|

तस्करी और बिना तस्करी की आने वाली शराब की पहचान मुश्किल,मात्र स्टिकर का फेर

सबसे बड़ी बात यह है कि तस्करी और बिना तस्करी की आने वाली शराब की पहचान बहुत मुश्किल होती है|चूंकि यह शराब सीधे विदेशो से आती है अतः उक्त शराब के डब्बे/बोतल पर संबन्धित देश की पेकेजिंग का ब्यौरा उपलब्ध होता है|भारत मे इन शराब को आयात करने वाली कंपनियाँ उक्त शराब के डब्बे पर अपनी कंपनी का एक स्टिकर लगा देती है,साथ ही जिस राज्य मे उसे बेचा जाना होता है उसका एक स्टिकर मय कीमत, उदाहरण के लिए ***"For sale in rajasthan only"*** लगा दिया जाता है|

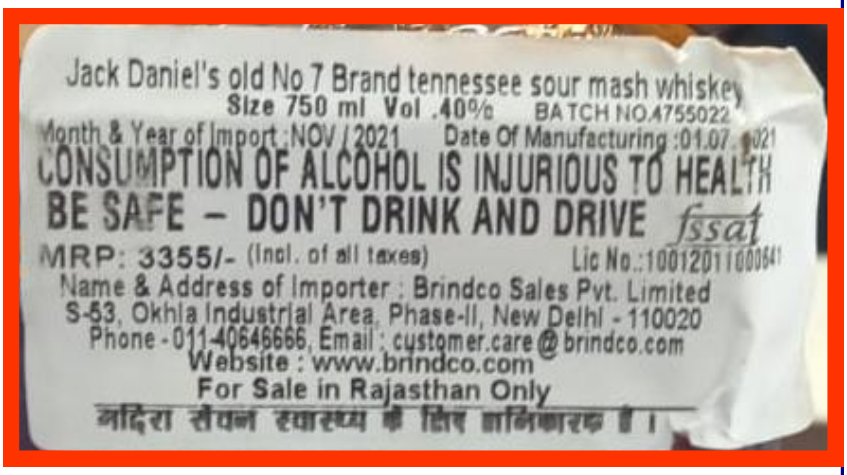

इन शराब की तस्करी करने वाले इसका फायदा उठाते है और दिल्ली-हरियाणा या बिना कस्टम चुकाए आने वाले माल पर मनमर्जी से छोटा सा स्टिकर लगा कर ग्राहक को गुमराह कर अपनी जेबें भरने का काम करते है|इतना ही नहीं कई बार तो यह आर्मी की सीएसडी केंटीन को बेचे जाने वाली शराब बता कर, उसका भी स्टिकर लगा देते है|

तस्करी की शराब मे की जाती है भारी मिलावट

शराब की बोतलों मे मिलावट की बात कोई नयी नहीं है|अमूमन महंगी शराब मे सस्ती शराब या पानी की मिलावट की जाती है|चूंकि उपभोक्ता को नशे मे इसका भान नहीं होता है और वह किसी तरह की जांच या शिकायत भी नहीं कर पाता है, अतः इसका बेजा फायदा विलायती शराब के तस्करी करने वाले भी उठाने से नहीं चूकते है|चूंकि विलायती शराब बहुत महंगी होती है अतः इसमे मिलावट करने से शराब तस्करो को दोहरा फायदा मिलता है|एक तो तस्करी का और दूसरा मिलावट का|

दिल्ली-हरियाणा सरकार की आबकारी नीति का फायदा उठा रहे राजस्थान के तस्कर

दिल्ली-हरियाणा मे अलग से होलसेल लाइसेन्स दिया जाता है जिसे हरियाणा मे AVANT-GRADE OUTLET और दिल्ली मे L1 लाइसेन्स कहा जाता है|इन बड़े बड़े शोरूमो द्वारा रिटेल लाईसेंसियों को शराब की आपूर्ति की जाती है|राजस्थान के तस्कर यहा से आसानी से विलायती शराब ले आते है और राजस्थान के उपभोक्ताओं को मन-माफिक डिस्काउंट देकर ललचाते है|

राजस्थान और गुरुग्राम मे उपलब्ध BIO ब्रांडो की दर का तुलनात्मक विवरण

Sr. No.	Brand Name	Rajasthan Rate	Gurugram Rate
1	Red Label	1570/-	950/-
2	Ballantine's	1645/-	1000/-
3	Absolute Vodka	1720/-	1000/-
4	J&B Rare	1660/-	1200/-
5	Jameson Irish	2090/-	1450/-
6	Tanqueray Gin	NA	1500/-
7	Beefeater Gin	1695/-	1400/-
8	Ballantine's 12	2960/-	1800/-
9	Black Label	2925/-	2000/-
10	Chivas Regal	3110/-	2000/-
11	Grey Goose	3315/-	2300/-
12	Belvedere Vodka	4670/-	2300/-
13	Ciroc Vod ka	3285/-	2300/-
14	Singleton 12 Yr	NA	2700/-
15	Double Black	4170/-	2800/-
16	Monkey shoulder	4125/-	2800/-
18	Hendrick's Gin	4625/-	3200/-
19	Glenlivet 15Yr	NA	4500/-
20	Chivas Regal 18	8565/-	4800/-
21	Johnnie Walker	NA	4800/-
22	Jacobs creek,	1310/-	1000/-
23	Hibiki Japanese	14350/-	10500/-
24	OUTBACK JACK WINE	1400/-	800/-
25	EMILIANA WINE	NA	800/-
26	CAMAS WINE	NA	800/-
27	OPERA WINE	NA	800/-
28	JOHNSTON WINE	NA	800/-
29	FISHING CAT WINE	NA	800/-
30	BLACK LABEL SPEYSIDE	3730/-	2000/-
31	BLACK LABEL LOWLANDS	3730/-	2000/-

गुरुग्राम मे खुले हुए शराब के होलसेल काउंटर/शोरूमो की बानगी

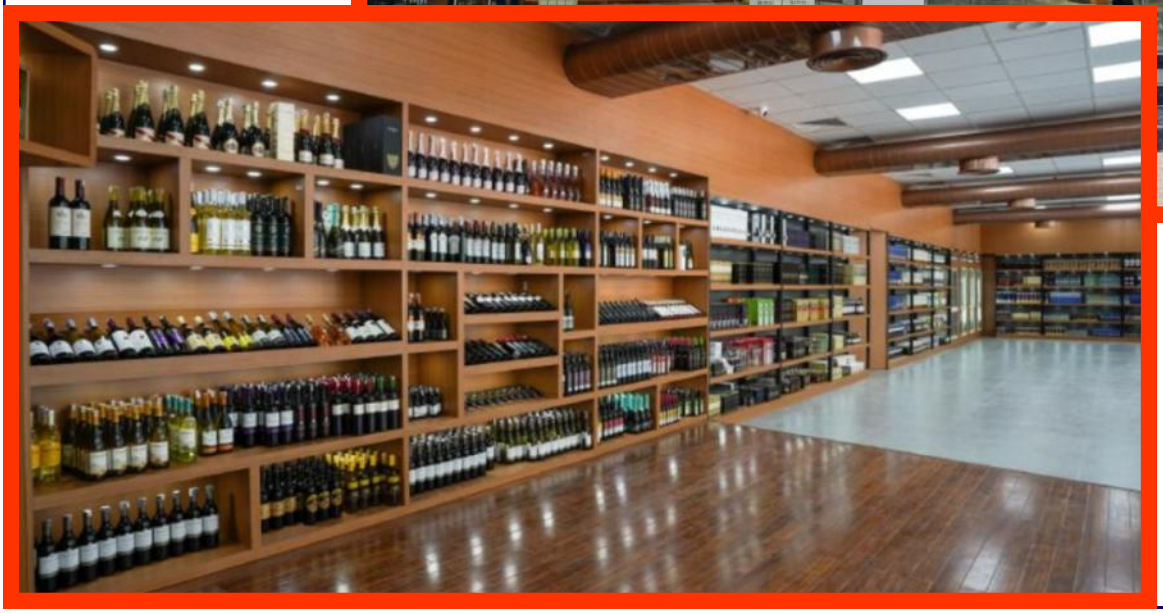

बड़े क्लब/होटल बार/नाइट क्लब,कुछ शराब के ठेकेदारो के साथ साथ आबकारी,आरएसबीसीएल के अधिकारी और खुद कंपनियाँ भी विलायती शराब की तस्करी के इस खेल मे शामिल

कई शराब शोरूम के मालिक,5 स्टार होटल्स और बड़े क्लब्स के मालिक इस काले धंधे मे लिप्त

राजस्थान मे भी अब नाइट क्लब,रेस्टोरेन्ट बार का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है|जयपुर,कोटा,उदयपुर जोधपुर और अन्य बड़े शहरो मे बड़े-बड़े क्लब/होटल/नाइट क्लब खुल रहे है|इन होटलो/क्लबो मे आयोजित होने वाली बड़ी बड़ी पार्टियों मे विलायती शराब की डिमांड अधिक होती है|इतना ही नहीं आबकारी अधिनियम और कानूनों को धत्ता बताते हुए राजस्थान मे शराब के बड़े बड़े शोरूम तक खोले जा चुके है,जहां पर महंगी शराब की तलाश मे उपभोक्ता आसानी से पहुंच जाता है|जबकि राजस्थान मे ऐसे शोरूम खोलने पर पाबंदी लगी हुई है|लेकिन सरकार की आँख के नीचे दर्जनो शराब के शोरूम जयपुर,कोटा समेत कई शहरो मे खोले जा चुके है|

5 स्टार होटल्स और बड़े क्लब्स कर रहे जीएसटी की चोरी

यूं तो शराब पर जीएसटी लागू नहीं होती है|लेकिन 5 सितारा होटल या क्लब द्वारा जब अपने ग्राहक को शराब सर्व करने की सर्विस दी जाती है तो वह जीएसटी की जद मे आ जाती है जो कि 18% से 28% के बीच होती है|ऐसे मे जब तस्करी की विलायती शराब को परोसने वाले होटल और क्लब, नियमानुसार शराब की खरीद ही नहीं करते तो स्वाभाविक है उस शराब को परोसने पर जीएसटी भी नहीं देंगे|इस प्रकार यह होटल और क्लब ना केवल आबकारी/आरएसबीसीएल को चपत लगा रहे बल्कि जीएसटी की चोरी कर देश के विकास मे भी बाधाउत्पन्न कर रहे है|

आरएसबीसीएल की पर्ची पर चलता है तस्करी का खेल

राजस्थान मे शराब की आपूर्ति आरएसबीसीएल के गोदामो द्वारा करवाई जाती है|अतः क्लबो/होटलो/शराब के शोरूमो से आने वाली विलायती शराब की डिमांड को स्थानीय आरएसबीसीएल के डिपो को बताई जाती है|आरएसबीसीएल के डिपो मे उक्त ब्रांड की विलायती शराब उपलब्ध नहीं होने पर आरएसबीसीएल द्वारा एक पर्ची पर मांग को लिख कर संबन्धित ठेकेदार/क्लब/होटल मालिक को दे दी जाती है|इस पर्ची के आधार पर संबन्धित ठेकेदार/क्लब/होटल मालिक राज्य से बाहर किसी भी राज्य से जहां उक्त ब्रांड की विलायती शराब उपलब्ध होती है,से उक्त माल मँगवाने के लिए अधिस्वीकृत कर दिया जाता है|इस पर्ची को आधार बना कर कई शराब के शोरूम/क्लब/होटल के मालिक तस्करी के काले धंधे मे लिप्त है|अमूमन तो ऐसे तस्कर पुलिस-आबकारी की पहुँच से दूर होते है|यदा कदा कोई पकड़ भी ले तो यह पर्ची इनके बचाव मे काम आती है|

शराब कंपनियो की भूमिका भी संदिग्ध

इस काले धंधे मे विलायती शराब कंपनियो की भूमिका भी संदिग्ध है|क्यूंकि यह कंपनियाँ अपनी विलायती शराब के ब्रांड को तो आरएसबीसीएल और आबकारी विभाग से अनुमोदित करवा लेती है लेकिन उसका स्टॉक आरएसबीसीएल के गोदामो मे उपलब्ध नहीं करवाया जाता|जिससे उस ब्रांड को मांगने वाले उपभोक्ता को किसी व्यक्ति विशेष से ही उस ब्रांड को उपलब्ध करवाने के लिए संपर्क करना पड़ता है|आरएसबीसीएल द्वारा 6 लाख रुपए 10 ब्रांडो के लिए प्रति वर्ष व्होलसेल ब्रांड लाइसेन्स के नाम पर शराब कंपनियों से जमा करवाए जाते है,उसके बाद मात्र 10000 रुपए लेकर अन्य ब्रांडो को अनुमोदित कर दिया जाता है|कंपनियाँ इसका फ़ायदा उठाती है और अपने कई ब्रांडो को अनुमोदित तो करवा लेती है लेकिन स्टॉक उपलब्ध नहीं करवाती है|

जयपुर के कई क्लब होटल मालिक इस अवैध धंधे मे लिप्त,शराब ठेकेदार ने किया खुलासा

शराब के एक बड़े ठेकेदार ने नाम नहीं छापने कि शर्त पर बताया कि आबकारी विभाग और आरएसबीसीएल मे Blue Label,Bailieys Irish,Tanqueray Gin आदि BIO ब्रांड के नाम से रजिस्टर्ड तो है लेकिन इनका स्टॉक आरएसबीसीएल मे विगत 2 सालों से ना के बराबर है|इनकी जयपुर मे भारी डिमांड है,लेकिन स्टॉक मे ना होने के बावजूद, जयपुर मे स्थित नामी क्लब,पाँच सितारा होटल इन्हे भी अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा रहे है|यह जांच का विषय है कि बड़ी बड़ी पार्टियों मे इन जैसे महंगे ब्रांड जो कि राजस्थान मे उपलब्ध नहीं है,कहाँ से और किसके द्वारा लाये जाते है?

साथ ही यह भी बताया कि जयपुर शहर और दिल्ली रोड पर स्थित बड़े बड़े 5 स्टार होटलों मे बड़े बड़े शराब तस्करो द्वारा अवैध रूप से BIO ब्रांड की शराब उपलब्ध करवाई जा रही है और यह काम राजनैतिक और बड़े बड़े IAS,IPS और अन्य बड़े अधिकारियों के संरक्षण मे दिन-रात फलफूल रहा है|उनके अनुसार शहर के बड़े होटलो/क्लबो/मेरीज गार्डनों मे होने वाली एक बड़ी और हाई-प्रोफाइल पार्टीयो/शादी-समारोह,आयोजनो मे 5-10 लाख रुपए की शराब की खपत होना आम बात है|इस प्रकार एक शराब तस्कर एक पार्टी से 1-5 लाख तक आसानी से कमा लेता है|जयपुर मे ऐसे कई शराब तस्कर सक्रिय है|यदि SOG,क्राइम ब्रांच या अन्य जांच एजेंसी इस मामले की तहक़ीक़ात करे तो कई बड़े नाम इस खेल मे उजागर हो सकते है|

आबकारी विभाग की उदासीनता पड़ रही भारी

तस्करी के इस खेल मे आरएसबीसीएल और आबकारी के अधिकारी भी मिले हुए है|आबकारी अधिकारी ऐसे मामलो की तहक़ीक़ात नहीं करते है क्यूंकी वह इसे अपने अधिकार क्षेत्र मे नहीं मानते|आबकारी विभाग इन होटलो/बारो मे निरीक्षण के दौरान यह नहीं देखता कि वहाँ कौन सी शराब उपभोक्ताओं को परोसी जा रही है|इसी तरह शादी समारोह के लिए ओकेशनल लाइसेन्स जारी करते समय भी आबकारी विभाग द्वारा केवल शराब का उपयोग करने हेतु लाइसेन्स जारी कर दिया जाता है,यह नहीं देखा जाता कि पार्टी मे कहाँ से और कौन सी शराब मंगाई गयी है|

Rajasthan: सिरोही में डेढ़ करोड़ की अवैध शराब जब्त, 11 गिरफ्तार

Author: Sachin Kumar Mishra

आइपीएस टांक की जालोर में भी ड्रग माफिया से मिलीभगत उजागर, अब होगी कार्रवाई

शराब तस्करों से मिलीभगत के आरोप में सिरोही एसपी पद से हटाए गए हिम्मत अभिलाष टांक की जालोर में तैनाती के दौरान की गई कारगुजारी सामने आई है।

Rajasthan मुखबिर से मिली जानकारी पर विभाग के अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी राणा प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहराधिकारी नारायण सिंह नरेंद्र सिंह जगदीश बिश्नोई व पंकज सिंह की पांच सदस्यीय टीम कार्रवाई के लिए गठित की गई थी। आबकारी टीम ने रविवार

उदयपुर, संवाद सूत्र। आबकारी विभाग ने रविवार को डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की अवैध शराब बरामद की। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ निर्मित शराब के 1880 कार्टन पंद्रह वाहनों में लदे थे। इनमें पांच ट्रक तथा नो लग्जरी कारें शामिल थीं। आबकारी विभाग की यह कार्रवाई इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जब एक साथ कई वाहनों को शराब के साथ पकड़ा है। इस मामले में ग्यारह लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में स्वरूपगंज से आबू रोड के बीच भुजेला गांव में की है। यहां पावर हाउस के पीछे एक बाड़े में शराब से लदे वाहन खड़े किए हुए थे।

इस गड़बड़झाले मे आरएसबीसीएल भी शामिल

आबकारी के साथ आरएसबीसीएल के अधिकारी भी इस पूरे खेल मे आँख मूँदे हुए है|आंकड़ो मे देखा जाए तो विलायती शराब(BIO)की खपत राजस्थान मे बहुत कम है लेकिन इसके बावजूद आरएसबीसीएल विलायती शराब(BIO) की डिमांड पर नजर नहीं रख रही है|शराब के शोरूम/क्लब/होटलो द्वारा जिन विलायती शराब की डिमांड बताई जाती है,उसकी मॉनिटरिंग कभी नहीं की जाती है|यदा कदा आरएसबीसीएल द्वारा कंपनियों को स्टॉक रखने के लिए कहा जाता है तो कंपनी उक्त ब्रांड के माल भाड़े का हवाला देकर सप्लाई करने से साफ इंकार कर देती है|

पुलिस नहीं करती निगरानी

इस पूरे खेल मे पुलिस की भी बड़ी भूमिका है,क्यूंकी बाहर से विलायती शराब की तस्करी मे कई पुलिस चेक-पोस्ट आती है लेकिन इन चेक-पोस्टो पर बिना जांच के विलायती शराब से लदी लक्जरी गाडियाँ पार हो जाती है|इसके अलावा स्थानीय थानो की पुलिस बड़े क्लबो/होटलों मे होने वाली पार्टियों मे प्रयुक्त होने वाली शराब की भी कभी जांच नहीं करती|

काले धन और हवाला का चल रहा खेल

इस पूरे खेल मे एक बात और सामने आयी है और वह है काले धन की|आमतौर पर शराब पीने वाला छोटा सा ग्राहक भी कभी ठेके से शराब का बिल नहीं लेता, जबकि सरकार के अनुसार प्रत्येक बिक्री का बिल देना आवश्यक है|ऐसे मे यह सोचना बेमानी हो जाता है कि यह बड़े शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए बिल,चेक का उपयोग करते होंगे|सामने आया है कि हवाला और काले धन के जरिये अवैध विलायती शराब की खरीद और बिक्री की जाती है|

जवाब मांगते सवाल?

1. राज्य सरकार द्वारा BIO शराब पर लगने वाली होलसेल लाइसेन्स फीस को BII शराब पर लगने वाली एक्साइज़ ड्यूटी (ED) और अतिरिक्त एक्साइज़ ड्यूटी(AED)की बनिस्पत कम क्यूँ रखा गया है?
2. BIO ब्राण्ड्स पर एक्साइज़ ड्यूटी(ED) और अतिरिक्त एक्साइज़ ड्यूटी(AED) ना होने से यह शराब BII ब्राण्ड्स की अपेक्षा सस्ती होती है,जिससे राजस्थान मे भी BIO की खपत बढ़ रही है और BII की सालाना खपत मे सेंधमारी हो रही है,जिससे राज्य सरकार को एक्साइज़ ड्यूटी(ED) और अतिरिक्त एक्साइज़ ड्यूटी(AED) के जरिये प्राप्त होने वाले राजस्व का नुकसान हो रहा है|राजस्व के इस नुकसान पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?
3. क्या सरकार को बेहतर मॉनिटरिंग कर,BIO ब्राण्ड्स की बढ़ती लोक प्रियता पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए,जिससे राज्य या देश मे इनका उत्पादन/पेकेजिंग करने वाली भारतीय कंपनियों को फायदा हो सके?
4. विगत 5 सालों मे राज्य मे BIO ब्राण्ड्स की शराब की खपत के क्या आंकड़े है?BII शराब के ब्राण्ड्स के बनिस्पत इनकी खपत साल दर साल कितनी बढ़ रही है?
5. चालू वित्त वर्ष मे किन-किन होटलो/क्लब बार/शराब ठेकेदार द्वारा कितनी कितनी मात्रा मे कौन कौन सी BIO ब्राण्ड्स की शराब की डिमांड की गयी?डिमांड के अनुसार कितनी शराब आरएसबीसीएल के गोदामों मे उपलब्ध थी और कितनी शराब के लिए बाहरी राज्यों से उक्त BIO शराब को लाने के लिए परमिट जारी किए गए?
6. क्या आबकारी विभाग/RSBCL द्वारा इस बात की मॉनिटरिंग की जाती है कि जितनी मात्रा के लिए BIO शराब बाहर से लाने का परमिट जारी किया गया है,उतनी ही मात्रा मे BIO शराब लायी गयी है?BIO शराब के लिए परमिट जारी करते समय होलसेल लाइसेन्स फीस का समायोजन किस प्रकार किया जाता है?यदि अधिक मात्रा बताकर कम मात्रा मे BIO शराब परमिट द्वारा लायी जाए तो क्या आरएसबीसीएल शेष राशि का भुगतान वापस करता है या नहीं?
7. राजस्थान मे कौन कौन शराब ठेकेदार,क्लब,5 सितारा होटल मालिक विलायती शराब के काले धंधे मे लिप्त है? अंतरराष्ट्रीय शराब तस्करो से इनके क्या ताल्लुकात है?इस धंधे मे कौन कौन से राजनेता और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी लिप्त है?
8. शराब तस्करो द्वारा इस काले धंधे से कमाए गए काले धन को कहाँ खपाया जा रहा है?
9. क्या जीएसटी विभाग द्वारा ऐसे क्लब,5 सितारा होटलो पर कभी कार्यवाही की है जो विलायती शराब के नाम पर जीएसटी की चोरी कर रहे है?
10. आज तक आबकारी,पुलिस या इंटीलिजेंस एजेंसियों द्वारा इन विलायती शराब के सौदागरो पर कार्यवाही क्यूँ नहीं की गयी?
11. आरएसबीसीएल द्वारा BIO शराब के ब्रांड अनुमोदित करने के क्या नियम बनाए गए है?किसी BIO ब्रांड को अनुमोदित करवाने के बाद उसका कितना न्यूनतम स्टॉक रखना आवश्यक होता है?ऐसे BIO ब्रांडो का न्यूनतम स्टॉक नहीं रखने के विरुद्ध आरएसबीसीएल द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी है?ऐसे ब्रांडो को सुगमता से उपलब्ध करवाने हेतु आरएसबीसीएल द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए है?